अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 07/2018(RCMS No. 2018/00040) अनवान् बद्रीराम पुत्र श्री भगवाना राम जाति जाट आयु 92 वर्ष निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम भागीरथ पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट आयु 63 वर्ष निवासी 47/21, किरन पथ मानसरोवर, जयपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.10.2019

अपीलार्थी बद्रीराम की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री बंसीलाल बिश्नोई उपस्थित हुए एवं रेस्पोडेंट भागीरथ उपस्थित नहीं हुआ। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.08.2019 की पालना में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में अप्रार्थी/रेस्पोडंट भागीरथ के नोटिस प्रकाशित करवाने के आदेश दिये गये थे जो प्रार्थी द्वारा सीमा संदेश दिनांक 31.08.2019 में प्रकाशित करवाये गये। इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट भागीरथ निश्चित तिथि दिनांक 11.09.2019 को अथवा आज दिनांक तक उपस्थित नहीं आया है इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती हैं।

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी ब्रदीराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2017 को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 व 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसने प्रार्थना की थी वह एक वृद्ध व्यक्ति है तथा किसी प्रकार का व्यवसाय करने में असमर्थ है जिसके भरण पोषण राशि की जिम्मेदारी अप्रार्थी पर है इसलिए उसे भरण पोषण राशि 30,000/--प्रति माह दिलाये जावे। अप्रार्थी ने एक उपहार पत्र दिनांक 06.06.2013 के जरिये धोखे से जो कृषि भूमि उससे प्राप्त की है, उस उपहाहर पत्र को निरस्त कर उसका नामान्तरण उसके नाम से वापिस दर्ज किया जावे एवं धोखे से प्राप्त किये गये उसके जेवरात भी रेस्पोडेंट भागीरथ वापिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

लौटाये जावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके पुत्र रेस्पोडेंट भागीरथ को सुनकर दिनांक 15.12.2017 के आदेश से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत यह अपील प्रस्तुत की है और आदेश दिनांक 15.12.217 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी के प्रतिनिधि श्री बंसीलाल को सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के प्रतिनिधि का कथन है कि अपीलार्थी एक वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विरूद्ध एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलकृत आदेश पारित किया है और न ही उसे साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है। इस प्रकार उक्त आदेश अधिनियम की मूल भावना के विपरीत पारित किया होने के कारण जो निरस्त करने योग्य हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि रेस्पोडेंट भागीरथ एक साधन सम्पन्न व्यक्ति है उक्त प्रावधानों के अनुसार संतान/सम्बन्धी, अपने वृद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। चूंकि रेस्पोडेंट भागीरथ के पास आय के पर्याप्त साधन है इसलिए अपीलार्थी उससे भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी का भरण पोषण का प्रार्थना पत्र गलत रूप से खारिज किया गया है अतः अपीलकृत आदेश निरस्त किया जावे और अपीलार्थी को रेस्पोडेंट से पर्याप्त भरण पोषण दिलाया जावे।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी से दिनांक 06.06.2013 को जो कृषि भूमि का चक 10 एसपीएम व 11 एसपीएम की 1.418 हैक्टेयर का जो दान पत्र करवाया है वह अप्रार्थी ने धोखे से करवाया है चूंकि रेस्पोडेंट, अपीलार्थी का भरण पोषण भी नहीं करता है इसलिए उक्त दानपत्र भी निरस्त किया जाना चाहिए। अतः उसकी अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का आदेश दिनांक 15.12.2017 निरस्त किया जावे।

मैनें प्रार्थी के प्रतिनिधि श्री बंसीलाल की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 26.07.2017 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5(1)(क) और (ख) माता पिता वं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत पेश किया था, जिसमें उसने निम्न प्रार्थना की थी :

> प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है एवं किसी प्रकार का व्यवसाय या अन्य कोई कार्य करने में असमर्थ है, जिसके भरण पोषण की जिम्मेवारी अप्रार्थी पर है, को अप्रार्थी से प्रतिमाह 30,000/— रूपये भरण पोषण राशि व अप्रार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2013 को धोखे से उपहार—पत्र के जरिये प्राप्त की गई प्रार्थी की कृषि भूमि का नामान्तरण इत्यादि निरस्त कर पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर द्वारा दिनांक 15.12.2017 से निम्न आदेश पारित किया गया है:

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र का गहन अध्ययन किये जाने पर प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को धोखा में रख कर प्रार्थी की कृषि भूमि हड़प कर ली हो या प्रार्थी द्वारा दिये गये उपहार पत्र में ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया है जो अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओ को पूर्ण करने से इन्कार करता है य असफल रहता है।

प्रार्थी द्वारा भरण पोषण की मांग एक पुत्र से की गई है, जबकि वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की नैतिक जिम्मेदारी समस्त पुत्रों की होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र नेक नियत से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर एवं तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीलाभ सक्सेना)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सादुलशहर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उक्त अधिनियम 2007 की धारा 9 में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

> **9. भरण पोषण हेतु आदेश** —(1) यदि सन्तान या सम्बन्धी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों या सम्बन्धियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भत्ता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दे।
>
> (2) अधिकतम भरण पोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया जाए, जो **प्रतिमास दस हजार रूपये से अधिक नहीं होगा।**

उक्त धारा के तहत यदि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो ऐसा वरिष्ठ नागरिक एवं माता पिता को सभी संतानो/सम्बन्धियों से (अव्यस्क को छोड़कर) अधिकतम दस हजार रूपये तक का भरण पोषण प्राप्त करने हेतु हकदार हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलार्थी/प्रार्थी बद्रीराम के कुल 8 वारिसान प्रतीत होते है जिनमें अपीलार्थी के दो अन्य पुत्र लेखराम व दयाराम भी है। जब विद्वान

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्य उक्त संतान संबंधी तथ्य भी ध्यान में आ चुके थे तो उक्त दोनों पुत्रों को अथवा सभी वारिसान को (अव्यस्क को छोड़कर) भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था और उसी अनुरूप ही निर्णय करना चाहिए था। **अतः माता पिता वं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की भावनाओं को देखते हुए यह प्रकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि** उक्त सभी संतानों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें पक्षकार बनाया जाकर, प्रार्थी/अप्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर उसके प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर